निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1930 (श०)

(सं० पटना 7) पटना, सोमवार 5 जनवरी 2009

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2008

सं0 15/बि0स0से0–02–06/2008 का0–10304–बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा–19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) उक्त अधिनियम की धारा–11 के आलोक में, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारणार्थ निम्नांकित विनियमावली बनाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–
   - (i) यह विनियामवली **"बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियामवली, 2008"** कही जा सकेगी।
   - (ii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ– जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियामवली में–
   - (i) 'सेवा' में अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा
   - (ii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008)
   - (iii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियामवली, 2008
   - (iv) "प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है राज्य का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान एवं बिहार इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट (बिपार्ड) तथा
   - (v) इस विनियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों या संदर्भों, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार अधिनियम–3, 2008 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियामावली, 2008 में परिभाषित है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नांकित तीन लगातार चरणों में होंगे–
   - (i) प्रथम चरण (प्रशिक्षण अवधि चार सप्ताह)
   - (ii) द्वितीय चरण (प्रशिक्षण अवधि चार सप्ताह)
   - (iii) तृतीय चरण (व्यावहारिक प्रशिक्षण चार सप्ताह)